

प्ररूप 2 क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

पूरे चेहरे को सामने से
उपदर्शित करते हुए श्वेत/
श्वेताम पृष्ठभूमि में
(2 से.मी x 2.5 से.मी.)
स्टाम्प आकार का नवीनतम
फोटो चस्पा करें.

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र]

की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम है जो

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० में क्रम सं० पर प्रविष्ट है।

तारीख :

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं -

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *(में समाविष्ट विधान सभा

निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं :-

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
		निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

कृपया ध्यान दें :-प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग-3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य या देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है;

(ख) मैंने वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

[नीचे (ग) (i) या (ग) (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ग) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ग) (ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में :- (i) (ii) (iii) हैं।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(ङ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग-3 क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
- (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या
- (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है; या

हां/नहीं

- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर “हां” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक
- (ii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें)
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिनोंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हां/नहीं
- (ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां और तारीख
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-
 - (क) निपटारे की तारीख (तारीखें)
 - (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)
- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? (हां/नहीं)

- यदि हां, धारित पद के ब्यौरे
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है? (हां/नहीं)

- यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी बाहरी देश के प्रति राजनिष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है? (हां/नहीं)

- यदि हां, ब्यौरे दीजिए
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहिंत किया गया है? (हां/नहीं)

- यदि हां, निरहिंत किए जाने की अवधि
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है? (हां/नहीं)

- यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख

(4)

- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा (संविदाएं) रखता है जिसमें (जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है? (हां/नहीं)
- यदि हां, तो कौन-सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा (ओं) के ब्यौरे
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अधिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है? (हां/नहीं)
- यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है? (हां/नहीं)
- यदि हां, निरहन की तारीख

स्थान :

तारीख :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

भाग-4

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में (तारीख) को (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्थापक (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर

भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय।

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :-

.....
.....
.....

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग-6

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं०

..... का नामनिर्देशन-पत्र जो

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में (तारीख)

को (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया। सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा

(तारीख) को (बजे) (स्थान) में की जाएगी।

तारीख

रिटर्निंग ऑफिसर

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

FORM 2A

(See rule 4)

NOMINATION PAPER

Election to the House of the People

STRIKE OFF PART I OR PART II BELOW WHICHEVER IS NOT APPLICABLE

Recent stamp size
(2 cm x 2.5 cm)
photograph in
white/off white
background with
full face view to
be attached.

PART I

(To be used by candidate set up by recognised political party)

I nominate as a candidate for election to the House of the People from the
Parliamentary constituency.

Candidate's name..... Father's/mother's/husband's name

His postal address

His name is entered at S. No. in Part No. of the electoral
roll for *(Assembly constituency comprised within)

Parliamentary Constituency.

My name is and it is entered at S. No.

in Part No. of the electoral roll for *(Assembly Constituency
comprised within) Parliamentary constituency.

Date :

Signature of Proposer

PART II

(To be used by candidate NOT set up by recognised political party)

We hereby nominate as candidate for election to the House of the People from the
Parliamentary Constituency.

Candidate's name :

Father's/mother's/husband's name :

His postal address :

His name is entered at S.No. in Part No.....
of the electoral roll for..... *(Assembly constituency comprised within)
..... Parliamentary constituency.

We declare that we are electors of the above Parliamentary Constituency and our names are entered in the electoral
roll for that Parliamentary Constituency as indicated below and we append our signatures below in token of subscribing to
this nomination:—

Particulars of the proposers and their signatures

Sl. No.	Name of component Assembly Constituency	Elector Roll No. of Proposer		Full Name	Signature	Date
		Part No. of Electoral Roll	S.No. in that part			
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

N.B. : There should be ten electors of the constituency as proposers.

PART III

I, the candidate mentioned in Part I/Part II (Strike out which is not applicable) assent to this nomination and hereby declare —

(a) that I am a citizen of India and have not acquired the citizenship of any foreign State/country.

(b) that I have completed years of age;

[STRIKE OUT c (i) or c (ii) BELOW WHICHEVER IS NOT APPLICABLE]

(c) (i) that I am set up at this election by the party, which is a recognised National Party/State Party in this State and that the symbol reserved for the above party be allotted to me.

OR

(c) (ii) that I am set up at this election by the party, which is a registered unrecognised political party/that I am contesting this election as an independent candidate. (Strike out which is not applicable) and that the symbols I have chosen, in order of preference, are:-

(i) (ii) (iii)

(d) that my name and my father's/mother's/husband's name have been correctly spelt out above in (name of the language);

(e) that to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to fill the seat in the House of the People.

*I further declare that I am a member of the

Caste/tribe which is a schedule *Caste/tribe of the State of in relation to (area) in that State.

I also declare that I have not been, and shall not be nominated as a candidate at the present general election/the bye-elections being held simultaneously, to the House of the People from more than two Parliamentary Constituencies.

Date :

Signature of Candidate

*Score out the words "assembly constituency comprised within" in the case of Jammu and Kashmir, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep.

**Score out this paragraph, if not applicable.

***Score out the words not applicable.

N.B. - A "recognised political party" means a political party recognised by the Election Commission under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 in the State concerned.

[PART IIIA

(To be filled by the candidate)

(1) Whether the candidate—

(i) has been convicted—

(a) of any offence(s) under sub-section (1); or

(b) for contravention of any law specified in sub-section (2), of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951); or

(ii) has been convicted for any other offence(s) for which he has been sentenced to imprisonment for two years or more.

Yes/No

(3)

If the answer is "Yes", the candidate shall furnish the following information :

- (i) Case/first information report No./Nos.
 - (ii) Police station(s) District(s) State(s)
 - (iii) Section(s) of the concerned Act(s) and brief description of the offence(s) for which he has been convicted
 - (iv) Date(s) of conviction(s)
 - (v) Court(s) which convicted the candidate
 - (vi) Punishment(s) imposed [Indicate period of imprisonment(s) and/or quantum of fine(s)]
 - (vii) Date(s) of release from prison
 - (viii) Was/were any appeal(s)/revision(s) filed against above conviction(s) Yes/No.
 - (ix) Date and particulars of appeal(s)/application(s) for revision filed
 - (x) Name of the court(s) before which the appeal(s)/application(s) for revision filed
 - (xi) Whether the said appeal(s)/application(s) for revision has/have been disposed of or is/are pending
 - (xii) If the said appeal(s)/application(s) for revision has/have been disposed of —
 - (a) Date(s) of disposal
 - (b) Nature of order(s) passed
- (2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government? (Yes/No)
- If Yes, details of the office held
- (3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court? (Yes/No)
- If Yes, has he been discharged from insolvency
- (4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country? (Yes/No)
- If Yes, give details
- (5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President? (Yes/No)
- If Yes, the period for which disqualified
- (6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State? (Yes/No)
- If Yes, the date of such dismissal
- (7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government? (Yes/No)
- If yes, with which Government and details of subsisting contract(s)

(4)

- (8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central Government or State Government has not less than twenty-five percent share? (Yes/No)
- If yes, with which Government and the details thereof.
- (9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act (Yes/No)
- If yes, the date of disqualification

Place :

(Signature of Candidate)]

Date :

PART IV

(To be filled by the Returning Officer)

Serial No. of nomination paper

This nomination was delivered to me at my office at (hour) on (date) by the *candidate/proposer. (name of proposer

Date :

Returning Officer

PART V

Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper

I have examined this nomination paper in accordance with section 36 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and decide as follows :—

.....
.....
.....

Date :

Returning Officer

* Score out the word not applicable.

PART VI

**Receipt for Nomination Paper and Notice of Scrutiny
(To be handed over to the person presenting the Nomination Paper)**

Serial No. of nomination paper

The nomination paper of a candidate for election from the Parliamentary constituency was delivered to me at my office at (hour) on (date) by the *candidate/proposer. All nomination papers will be taken up for scrutiny at (hour) on (date) at (Place).

Date :

Returning Officer

* Score out the word not applicable.